भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3558

दिनांक 10.12.2019/19 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

विदेशी व्यक्ति अधिकरणों द्वारा घोषणा

† 3558. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्तूबर 2019 तक, असम में विदेशी व्यक्ति अधिकरणों द्वारा कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया था;

(ख) अक्तूबर 2019 तक, विदेशी व्यक्ति अधिकरणों द्वारा असम में कितने व्यक्तियों को विदेशी नागरिक घोषित किया गया था;

(ग) विदेशी व्यक्ति अधिकरणों द्वारा कितने बच्चों को विदेशी घोषित किया गया है;

(घ) अक्तूबर 2019 तक, असम में विदेशी व्यक्ति अधिकरणों को कितने मामले भेजे गए हैं;

(ङ) अक्तूबर 2019 तक, असम में विदेशी व्यक्ति अधिकरणों द्वारा 'विदेशी' घोषित किए जाने के अनुसरण में, कितने व्यक्तियों को देश से निर्वासित किया गया है और उनका किन-किन देशों में निर्वासन किया गया है; और

(च) क्या भारत में ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति अधिकरण विद्यमान है जिसका गठन विधान द्वारा नहीं, अपितु प्रत्यायोजित विधान द्वारा किया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): असम राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अक्तूसबर, 2019 तक असम में विदेशी विषयक अधिकरणों द्वारा 1,14,225 व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया है।

(ख): असम राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अक्तूिबर, 2019 तक असम में विदेशी विषयक अधिकरणों द्वारा 1,29,009 व्यक्तियों को विदेशी नागरिक घोषित किया गया है।

<u>लो.स.अता.प्र.सं.3558</u>

(ग): विदेशी विषयक अधिकरणों द्वारा किसी भी बच्चे को विदेशी नागरिक घोषित नहीं किया गया।

(घ): असम राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 2019 तक असम में 4,68,905 मामले विदेशी विषयक अधिकरणों को भेजे गये हैं।

(ङ): असम राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निर्वासित किये गये विदेशी नागरिकों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

(i) बांग्लादेशी नागरिक - 04

(ii) अफगानी नागरिक - 02

(च): असम के सभी विदेशी विषयक अधिकरणों का गठन विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत किया गया है।

*****